कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ—5 / 1161 / 2022 / 10—11 **/**८। ७ प्रेषक :--

भोपाल, दिनांक 5-2-24

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:— खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर—एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भ: - आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 031/2023 BHO दिनांक 18.12.2023

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानसार है:—

্ৰ	जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:—		
豖.	3	प्रतिवेदन	
1	The State Govt has reported that the area of Khandwa Forest Division which is 0.938 ha has been eliminated and separate proposal will be initiated for the same. This is not acceptable, since only a consolidated proposal shall be considered	इस संबंध में वन मण्डलाधिकारी खण्डवा ने अवगत कराया है कि कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए आवेदक संस्था खण्डवा वन मण्डल के प्रस्ताव को पृथक से अपलोड किया गया, जिसका ऑनलाईन नम्बर FP/MP/ ROAD/433187/2023 रकबा 0.377 हेक्टेयर है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.01.2024 से जारी की जा चुकी है।	
2	It appears that some part of proposed route is overlapped with already approved area of 16.81 ha (FP/MP/ ROAD/32174/2018). It needs to be clarified.	प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ ROAD/32174/2018 रकबा 16.81 हेक्टेयर की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। स्वीकृति में कक्ष क्रमांक यू—658 शामिल है। संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें आवेदक संस्था द्वारा संशोधित KML file अपलोड कर दी गई है, पत्र की प्रति संलग्न है।	
3	With reference to this office EDS dated 11/05/2023 point 2 and 5 the detailed ATR has not been furnished. Details regarding appropriate action initiated by the State Govt. for violation under section 3A and 3B of the Forest (Conservation) Act, 1980 need to be furnished.	इस बिन्दु के संबंध में जानकारी कार्यालयीन पत्र दिनांक 27.10.2023 से भारत सरकार को प्रेषित की गई है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

> (एच.एस. मोहन्ता) भोपाल, दिनांक<-2-24

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1161 / 2022 / 10-11 / **८**।। प्रतिलिपिः-

- 1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
- 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह / खण्डवा, मध्यप्रदेश।

3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)—2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई—मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / पति

363

खंडवा, दिनांक

1-2-24

वनसंरक्षक.

खण्डवा वृत्त खण्डवा

विषय:--

खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) क फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।

Online Proposal No. (FP/MP/ROAD/152561/2022)

संदर्भ:-

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 289 दिनांक 15.01.2024 एवं परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा का पत्र क्रमांक 2432 दिनांक 18.01.2024

---000---

उपरोक्त विषयं एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में चाही गई जानकारी बिंदुवार संलग्न कर प्रेषित है।

The State Govt has reported that the area of Khandwa Forest Division which is 0.938 ha has been eliminated and separate proposal will be initiated for the same. This is not acceptable, since only a consolidated proposal shall be considered.

आवेदक संस्था द्वारा कार्य की प्राथमिकता को देखते हुये खण्डवा वनमण्डल का वन प्रस्ताव पृथक से अपलोड किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/433187/2023 रकबा 0.377 हेक्टेयर का ऑनलाईन किया गया है जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पन्न दिनांक 19.01.2024 द्वारा सैध्दांतिक स्वीकृति जारी की गई है। आवेदक संस्था पन्न की प्रति संलग्न है।

2 It appears that some part of proposed route is overlapped with already approved area of 16.81 Ha (FP/MP/ROAD/32174/2018) It needs to be clarified.

प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/32174/2018 में जारी रकबा 16.81 हेक्टेयर की स्वीकृति में कक्ष क्रमांक यू-658 शामिल है। संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदक संस्था द्वारा बताया गया है कि संशोधित केएमएल फाईल अपलोड कर दी गई है। आवेदक संस्था पत्र की प्रति संलग्न है।

With reference to this office EDS dated 11/05/2023 point 2 and 5 the detailed ATR has not been furnished. Details regarding appropriate action initiated by the State Govt. for violation under section 3A and 3B of the Forest (Conservation) Act, 1980 need to be furnished.

बडवाह वनमण्डल से संबंधित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

364

(राकेश कुमार डामोर) वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनगंडल खंडवा खंडवा, दिनांक / 22/24

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि / 2024 / प्रतिलिपि :--

1- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वनभवन तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बडवाह सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर रोड खण्डवा की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल खंडवा

D:\MEMO 2024\Memo 2024.docx

May Willer



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways)

पता - प्लॉट बं. 66-67, सिद्धि विनायक कॉलोनी, वाढाजी कॉलेज के पास, इन्दीर रोड, Add. - Plot No. 66-67, Siddhi Vinayak Colony, Near Dadaji College, Indore Road, खण्डवा (म.प्र.) Khandwa (M.P.) 450001

e-mail: piukhandwa@nhai.org, nhaikhandwa@gmail.com



NHAI/PIU-KNW/1104/DH-BO/2024/2432

Date: 18.01.2024

To,

Divisional Forest Officer Khandwa, (M.P.)

Sub: 4 - laning of Dhangaon-Boregaon section of NH - 347B & 753L (Indore to Boregaon - Pkg-IV) Design Ch.81+000 to Ch. 139+000) Length 58 km) under Bharatmala Pariyojna Phase-I in the state of Madhya Pradesh - Compliance report of EDS raised by MoEF&CC for Khandwa Forest Diversion Proposal No.: FP /MP /ROAD /152561 /2022-Reg.

Ref: (i) DPR consultant letter no. 12617 dtd; 16.01.2024 (ii) APCCF, letter no. 289 dtd;15.01.2024

This is in reference to the subject proposal for which APCCF (Land Management), Bhopal has been forwarded the 03-points information sought by MoEF&CC before issuing in principle approval, which is to be furnished via your office.

2. Further, DPR consultant vide letter under ref. (i), submitted the compliance report of the observation which is tabulated hereunder: -

S.No.	Observation by MOEF&CC	Compliance
1.	The State Government has reported that the area of Khandwa Forest division which is 0.938 ha has been eliminated and separate proposal will be initiated for the same. This is not acceptable, since only a consolidated proposal shall be considered.	The Proposal includes the case of violation of the Forest Rights Act, due to which the Stage-I approval of the said joint proposal was being delayed. Further, after approval from APPCF Forest, Bhopal this office mitigated the affected area of Khandwa Forest Division from above proposal no. FP/MP/ROAD/152561/2022, and applied a fresh proposal for the affected land under Khandwa Forest Division vide proposal no. FP/MP/ROAD/433187/2023. i.e., the proposal no. FP/MP/ROAD/152561/2022 doesn't includes the area under Forest Division Khandwa, the same has also been verified by Forest Department in the joint visit.
		It is also mentioned that MoEF&CC is provide the in-principal approval of FP/MP/ROAD/433187/2023.

प्रधान कार्यालय : जी 5 एवं 6, सेक्टर 10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075 दूरभाष : 91-11-2507 4100/2507 4200 वेबसाइट : //www.nhai.org

Corporate Office : G-5 & 6, Sector-10, New delhi-110075 Phone: 91-11-2507 4100/2507 4200 Website://www.nhai.org

1		It is requested that in view of Pubic interest and project priority separate proposal consider please.
2.	Its appears that some of part of proposed route is overlapped with already approved area of 16.81 ha (FP/MP/Road/32174/2018). It needs to be clarified.	Some part of compartment no U-658 (which is earlier approved in 16.81 ha) boundary is slightly overlapping with Compartment No 291. The Proposed KML has been prepared on site during the Joint verification with Forest department on 10.03.2022. Accordingly, the proposal has been submitted [Photo attached for reference]
3.	With referenced to this office EDS dated 11/05/2023 point 2 and 5 the detailed ATR has not been furnished. Details regarding appropriate action initiated by the State Government for violation under section 3A and 3B of the Forest (Conservation) Act, 1980 need to be furnished.	Pertaining to Forest Department

 In view of the above, it is requested for further needful action regarding submission of compliance letter by APCCF, so that in-principle approval can be obtained.

Accordingly, your co-operation is anticipated in timely completion of the subject work.

Encl: As above

(Ashutosh Soni)
Project Director

Copy to:

- 1. The Regional Officer, RO-MP, Bhopal (M.P.) for kind information.
- 2. APCCF, Land Management Bhopal for kind information.
- 3. DFO, Barwah for kind information.
- 4. The Team Leader M/s Lion Engineering Pvt. Ltd. for follow up with concerning department and necessary action for obtaining the clearance



LION ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

"Centributing in Building the Infrastructure of the Nation"

ISO 9001:2015 & 27001:2013 CERTIFIED COMPANY

LECPL/DPR1317/NHAI/IND-EDLB/2023-24/12617

16th January, 2024

To,

The Project Director,

PIU-National Highway Authority of India,

Khandwa (Madhya Pradesh)

Email: nhaikhandwa@gmail.com

Subject:

Consultancy Services for preparation of Feasibility Study and Detailed Project

Report for 201.240 Km section from Km. 2+500 to Km. 203+740 of Indore -Edlabad

upto Maharashtra Border of NH347BG & 753L in the State of Madhya Pradesh -

(Dhangaon to Borgaon Package-IV).

Regarding:

Compliance Report of Forest Proposal 152561.

Reference:

NHAI/PIU-KNW//1104/DH-BO/2023/2338 dated 19.12.2023 (Received by mail on

26.12.2023)

PCCF office letter dated 15.01.2024

Dear Sir,

In reference to above letter, RO-MoEF, Bhopal has issued observation against the Forest Proposal No 152561, the compliance details as given below:

S.No.	Observation by DFO	Compliance
1.	The State Government has reported that the area of Khandwa Forest division which is 0.938 ha has been eliminated and separate proposal will be initiated for the same. This is not acceptable, since only a consolidated proposal shall be	The Proposal includes the case of violation of the Forest Rights Act, due to which the Stage-I approval of the said joint proposal was being delayed. Further, after approval from APPCF Forest, Bhopal this office mitigated the affected area of Khandwa Forest Division from above proposal no.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	considered.	FP/MP/ROAD/152561/2022, and applied a fresh proposal for the affected land under Khandwa Forest Division vide proposal no. FP/MP/ROAD/433187/2023. i.e., the proposal no. FP/MP/ROAD/152561/2022 doesn't includes the area under Forest Division Khandwa, the same has also been verified by Forest Department in the joint visit.
		It is also mentioned that MoEF is provided the In-principal approval of FP/MP/ROAD/433187/2023. It is requested that in view of Pubic interest and project priority separate proposal consider please.

2.	Its appears that some of part of proposed route is overlapped with already approved area of 16.81 ha (FP/MP/Road/32174/2018). It needs to be clarified.	slightly overlapping with Compartment No
3.	With referenced to this office EDS dated 11/05/2023 point 2 and 5 the detailed ATR has not been furnished. Details regarding appropriate action initiated by the State Government for violation under section 3A and 3B of the Forest (Conservation) Act, 1980 need to be furnished.	Pertaining to Forest Department

In reference to above cited above, it is requested that kindly issue a letter to Forest department for further necessary action.

This is being forwarded for kind approval and necessary action.

Thanking You, Yours Faithfully,

For & On Behalt of Michigan Engineering Consultant Pvt. Ltd.,

BHOPAL

(Sushil Nimbark) ** O' *

Copy to:

1. The Regional Officer, NHAI-RO, Bhopal for information.



कार्यालय वन परिक्षेत्र खण्डवा (सामान्य)

Tele No.-9424793178

क्रमाक/माचि/2024/ 162

प्रति,

वनमंडल अधिकारी महोदय

वनमण्डल खण्डवा सा.

द्वारा--

उपवनमंडल अधिकारी, महोदय खण्डवा सा.।

विषय –

खरगोन जिले के बडवाह वनमंडल में इदौर- ऐदलाबाद (धनगावं से बोरगावं सेक्शन) के फोर लने

निर्माण /चोडीकरण हेतु 3.20 हेक्ट वनभूमि (पूर्व में आवंटित 4.138 हेक्ट.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ-

आपका पत्र पू. क./301 दिनांक 19.01.24

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 01 व 03 का संबंध वनमंडल खण्डवा से संबंध नहीं है । बिन्दु कमांक 02 के संबंध में दिनांक 26.01.24 को परिक्षेत्र अधिकारी खण्डवा सा. , परिक्षेत्र अधिकारी सनावद , वनमंडल बडवाह एवं एन.एच.ए.आई प्रतिनिधी के साथ वनपरिक्षेत्र खण्डवा के कक्ष क्रमांक यू 658 तथा वनपरिक्षेत्र बडवाह के कक्ष क्रमांक 291 की संयुक्त सीमा का मौका पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया । एन. एच.ए. आई. द्वारा अपने पत्र क्रमांक /2432 दिनांक 18.01.24 में बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में दिये प्रतिवेर्दन अनुसार दोनो कक्षो की सीमाओ की के.एम.एल फाईल किसी भी प्रकार से ओवरलेप नहीं करती । एन.एच.ए.आई द्वारा इंदौर ऐदलाबाद फोरलेन के प्रथम चरण में स्वीकृति प्राप्त भाग की के.एम.एल फाईल तथा 3.2 हेक्ट की के आवेदन की के एम.एल फाईल ओवरलेप पाई गई । जिसे एन.एच.ए.आई के साईड इंजीनियर के द्वारा संशेधित कर लिया गया । जिसकी पृष्टि भी मौके पर की गई।

प्रतिवेदन आवश्यक, अग्रिम कार्यवाही हेतु मय पंचनामे के सादर प्रेषित ।

संलग्न- मौका पंचनामा

कार्यालय उपवनमण्डल अधिकारी खण्डवा जावक क्रमांक...१५९... दिनांक.उ.१.१०११८.५ वनपरिक्षेत्र अधिकारी खण्डवा (सामान्य)

मुलात :- वनमाण्डला हिं। काही स्वण्डवा की डारेर इपरेशकतान्त्रमार प्रातिवयम उत्तावर्भे कार्यवाती 409 1-342 A 1341L

उपतनमण्डलाधिकारी स्पवनमण्डल खण्डवा र

Scanned with OKEN Scanner

4-4-1141

हम पन्पाण मह लिक्कि तर्किक करें है कि 3/101 /5-11-5 26/1/2024 3T a-4. 884. (4059T, H-1/4) Day THE S-WILL AN FIRST GUL GUL 3-1-4 अर्थ असाय के साय म. म. प्रमुद्द Good रसी. के 47 9 461. 55. AT. Pag. 2004/301 18-17-9 @19/1/24 के परिपालन भे इ-दे 10-03 लावाड (धन गाँच में बीरणन में नमने OB NHAI 190591 & 3.20 Ha & 817917 & Hracer A HHAE 372) RA or Us 5. 2432 RATO 18/1/24 के परिनेश में माना नियल (व०८वा परिडोप्न के नहा के 0-658 लामा H-1105 परिशेष के कड़ा के 291 औ सीमा पर निर्धेशक किया दिनि कहीं की भीमार्प हो। बर्लिप नहीं करती। NHAI 31TT DUF -1701 of A 25 YILT SIT of 6. Kml nut 3.202. 34. Kml salacky wint 172, North MHAL के अधिकारीने अदा प्न! मंत्रोरिक रिक्रम गमा/ िमिली पुरि में के पर किले जाने पर सही पायी अभी विभेगान लेखि किया गणा, पढेलर दिनापा गणा, सही पार्म ज्याने पर EXULATE Part sim) your oft git apla (John DIMI)

816 x105. 31 R.O. Sorowall 51526/1/24 26 26-01-2024 7.87. (4059) H1. 45

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बड़वाह जिला-खरगोन मध्यप्रदेश

दूरभाष क्रमांक-कार्यालय - (07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

कमांक / माचि / 2023 / ९ ८५

बडवाह, दिनांक २०१०।/२०१५

प्रति.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (म्-प्रबंध) वन भवन भोपाल

विषय:-

संदर्भ:-

4-laning of Dhangaon-Boregaon section of NH-347B & 753L (Indore to Boregaon -Pkg- IV) Design Ch. 81+000 to Ch. 139+000) Length 58 km) under Bharatmala Pariyojna Phase - I in the state of Madhya Pradesh - Compliance report of EDS raised MoEF&CC khandwa forest FP/MP/ROAD/152561/2022-Reg.

परियोजना संचालक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई

खण्डवा का प.क. / NHAI/PIU-KNW/1104/DH-BO/2024/2447 date 19.01.2024


--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि Proposal No. FP/MP/ROAD/152561/2022 इन्दौर-एदलाबाद फोरलेन (4-laning of Dhangaon-Boregaon section of NH-347B & 753L (Indore to Boregaon - Pkg- IV) Design Ch. 81+000 to Ch. 139+000) Length 58 km) under Bharatmala Pariyojna Phase – I in the state of Madhya Pradesh) प्रकरण में आपके प.कं. / 289 दिनांक 15.01.2024 से चाही गई जानकारी परियोजना संचालक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई खण्डवा का प.क. / NHAI/PIU-KNW/1104/DH-BO/2024/2447 date 19.01.2024 के द्वारा 3 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संदर्भित पत्र की छायाप्रति

पृष्ठां.क्रमांक / माचि / 2023 / 386 प्रतिलिपि:--

सामान्य वनमण्डल, बडवाह बडवाह, दिनांक२०/०1/२०२५

1. मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 2. परियोजना संचालक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्लाट नंबर 66-67 सिद्धि विनायक कॉलोनी दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ-5 / 1161 / 2022 / 10-11 / 4932 भोपाल, दिनांक २५ - १० - २०२३

प्रेषक :--

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:— खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर—एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 031/2023 BHO दिनांक 11.05.2023

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही सर्व है। अपने दारा चाही सर्व जानकारी का विकरण निम्नानसार है:—

है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विव	११ण निम्नानुसार ह.—
बिन्दु	प्रतिवेदन
Component wise breakup of proposed land	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise
shall be submitted.	breakup के संबंध में ऑनलाईन भाग—1 के
	बिन्दु क्रमांक B-2.4 में लेख किया गया है।
As per proposed area (22° 3'19.26"N,	वन मण्डलाधिकारी बड़वाह ने अपने पत्र
76°7'43.57"E) in Sanawad range, it appears	दिनांक 18.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा
	अवगत कराया है कि आवेदक संस्थान द्वारा
constructed. It shall be clarified.	बिना अनुमति के अवैध कार्य संज्ञान में आने
*	पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सनावद द्वारा वन
3	अपराध प्रकरण क्रमांक 3605 / 22 दिनांक 26.
	02.2022 पंजीबद्ध किया गया। आवेदक
	संस्थान द्वारा जो झाड़ी झुण्डी काटी गई थी,
15	उसकी दुगनी राशि 42873/- वसूल की
	जाकर वन मण्डलाधिकारी बड़वाह के आदेश
	दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित
	किया गया है।
	वन अपराध प्रकरण कायम करने के
	पश्चात आज दिनांक तक मौके पर यथा
	रिथति है, उसके पश्चात आवेदक संस्थान
	द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है।
	बिन्दु Component wise breakup of proposed land shall be submitted. As per proposed area (22° 3'19.26"N,



3	In the proposed Khandwa range area, a building has been constructed (Coordinate: 21°53'27.22"N,76°10'57.22"E) on the proposed route. It shall be clarified.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित 0.938 हेक्टेयर का रकबा ऑनलाईन पोर्टल से हटा दिया गया है। इस प्रस्ताव हेतु उनके द्वारा पृथक से आवेदन किया जावेगा। इस प्रकरण में अब मात्र 3.20 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।
4	As per submitted full route KML of proposed area, it appears that some part of proposed route is overlapped with already approved proposal of 16.81 ha (FP/MP/ROAD/32174/2018). It shall be clarified.	आवेदक संस्थान द्वारा खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित 0.938 हेक्टेयर का रकबा ऑनलाईन पोर्टल से हटा दिया गया है।
5	Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted, w.r.t. Extent/Area of violation, Date of reporting of violation, Date when cognizance /action was taken, Authority on whose orders violation was committed. Action taken Report shall be submitted.	इस बिन्दु के पालन में जानकारी बिन्दु क्रमांक—2 में दी गई है।

प्रकरण में खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित 0.938 हेक्टेयर का रकबा ऑनलाईन पोर्टल से हटा दिया गया है। अब प्रकरण में 3.20 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। बड़वाह वन मण्डल के परिक्षेत्र सनावद के कक्ष क्रमांक 291 में 6.50 हेक्टेयर पर 11 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2023—24 से 2033—34 तक राशि रू. 1,02,61,935/— की बनाई गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक खण्डवा ने अपने तकनीकी आदेश क्रमांक /279 दिनांक 26.09.2023 द्वारा जारी की गई है। उक्त योजना की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में 3.20 हेक्टेयर वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें। संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

> भवदीय १२/०.८३ (एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक २१-10-2023

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1161 / 2022 / 10-11 / 4833 प्रतिलिपि:-

- 1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
- 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह, मध्यप्रदेश।
- 3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बडवाह, जिला खरगोन, म.प्र.

बडवाह, दिनांक | १ | 08 | 2022

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 5877 प्रति.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल

खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगाव सेक्शन) के फोरलेन विषय :--निर्माण / चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टैयर राजस्य वनभूमि कुल 4.138 हेक्टैयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 031/2022-BHO/ दिनांक 11.05.2023

2. आपका पृष्ठांकन कमांक / एफ-5 / 1161 / 2022 / 10-11 / 1914 भोपाल, दि. 12.05.2023

निवेदन है कि, विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की कक्ष कमांक 291 रकवा 3.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दु कमांक-02, 03 एवं 05 की जानकारी

---000---

निम्नानुसार प्रस्तृत है :-उत्तर बिन्द् अ.क्र. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खण्डवा के द्वारा वनक्षेत्र में As per proposed area 2 मिट्टी मुरूम डालने की सूचना मिलने पर तत्काल ही अगले दिन दिनांक (22°3'19.26- N,76°7'43.57-26.02.2022 को उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह द्वारा मौके पर परिक्षेत्र E) in sanawad range. It appears that approx.. 934 सनावद कक्ष क्रमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र, जीपीएस रीडिंग 22º3'19.26- N, meter the road already 76º7'43.57 –E लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में constructed. It shall be पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम clarified. मिटटी डालकर सड़क निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। दिनांक 10.03.2022 एन.एच.ए.आई. खण्डवा के श्री सत्यम चौरसिया साईट इंजिनियर ठेकेदार, श्री संदीप शुक्ला पिता श्री सत्यनारायण शुक्ला के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि. एवं सुनिल कुमार पाण्डेय, रेसीडेन्ट इंजिनियर की उपस्थिति में कक्ष कमांक 291 का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। जिसके कुछ समय पूर्व ही एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा उक्त अवैध कार्य संज्ञान में आने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के द्वारा एन.एच.ए.आई. खण्डवा के ठेकेदार के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा जो आडी झुण्डी काटी गई थी, उस राशि से दुगुनी राशि 37500/- डी.डी. कमांक 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रूपये 5373 / — डी.डी. कमांक 223855 दिनांक 05.07. 2022 से कुल राशि 42873/- वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। दिनांक 26.02.2022 को वन अपराध प्रकरण कायम करने की दिनांक से आज दिनांक तक भौके पर यथास्थिति है, उसके पश्चात एन.एच. ए.आई. खण्डवा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। In the proposed Khandwa जीपीएस रीडिंग (21°53'27.22"- N, 76°10'57.22" -E) वनमण्डल के range area, a building has अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के क्षेत्र अंतर्गत है। been constructed (Cordinate (21°53'27.22"-N,76°10'57.22"E) on the proposed route. It shall be clarified.

Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to W.r.t. submitted, Extent/area of violation. reporting of Date of Date when violation. cognizance/ action was taken, Authority on whose violation committed. Action taken Report Shall be submitted.

वन परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर कुल रकबा 3.199 हे. में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाड़ी झुण्डी सफाई कर, मुरूम मिट्टी निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाड़ी झुण्डी सफाई कर, मुरूम मिट्टी जिसका मारत सरकार की अनुमति के बिना सडक निर्माण किया गया। डालकर भारत सरकार की अनुमति के बिना सडक निर्माण किया गया। जिसका वन अपराध प्रकरण कमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। कुल राशि 42873/— वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी किया गया। कुल को जावेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया।

दिनांक 26 02 2022 को मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र, लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33 86 मीटर में प्रस्तावित क्षेत्र, लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33 86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनार झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम प्रदेश डालकर सड़क निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के पत्र कमांक/300 दिनांक 11.03.2022 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पृष्ठांकन कमांक/2021/715 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी बडवाह को एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा बिना अनुमित कार्य करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।

वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पत्र क्रमांक/मा.चि / 2022 / 7744 बडवाह, दिनांक 14.09.2022 के द्वारा फॉरेस्ट कन्जर्वेसन एक्ट 1980 के उल्लंघन के संबंध में संक्षेपिका तैयार कर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित की गई। (छायाप्रति संलग्न)

Details of Violation — भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा—3(A) के तहत एन.एच.ए.आई. कियान्वयन इकाई खण्डवा जिम्मेदार होने पर तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना परिक्षेत्र सनावद के कक्ष क्रमांक 291 मं लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्नित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर नियमानुसार बन अपराध प्रकरण कायम किया जाकर वन्मण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश क्र. / 2022 / 295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। तथा कुल राशि 42873 वसूल की गई। वन संरक्षण नियम 2003 अतर्गत दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार 1.21 (ii) जहां वनभूमि व्यपवर्तन के पस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विचाराधीन है एवं वनक्षेत्र में बिना सैद्धांतिक/औपचारिक अनुमित के कार्य प्रारंभ किया गया है वहां आवेदक संस्था पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना है। अतः वन संरक्षण 1980 की धारा -2 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में आवेदक संस्था एन एच ए. आई. द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 3.20 हेक्टेयर के दुगुने क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर पर दण्डात्मक वृक्षारोपण (Penal Afforatation) हेतु राशि प्रस्तावित की गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा —3(B) के तहत कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार/दोषी नहीं है क्योंकि इनके द्वारा अवैध कार्य संज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दी गई एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई।

संलग्न :- पत्र कमांक / 7744 दि. 14.09.2022 की छायाप्रति ।

अनुराग तिवारी) भा.व.से. वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बड़वाह

बडवाह, दिनांक (8 05) 20 23

्यानुमण्डलाधिकारी साम्रान्य वनमण्डल बड़वाह

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2023/5878 प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संलग्न :- पत्र कमांक/7744 दि. 14.09.2022 की छायाप्रति।